[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना संख्या 7/2017- केंद्रीय कर

नई दिल्ली, 27 जून, 2017
6 आषाढ़, 1939 शक

सा.का.नि. ..... (अ)--केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये 22 जून, 2017 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 में--

(क) नियम 1 के शीर्षक में, "विस्तार" शब्द का लोप किया जाएगा ।

(ख) नियम 10 के उपनियम (4) में, "डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित" शब्दों के स्थान पर, "सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) नियम 13 के उपनियम (4) में, "हस्ताक्षरित" शब्द के स्थान पर, शब्द "सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) नियम 19 के उपनियम (1) के दूसरे परंतुक में, "उक्त नियम" शब्दों के स्थान पर, "नियम 8 का उपनियम (2)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ङ) नियम 21 में, खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"(ख) अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अतिक्रमण में माल या सेवाओं की पूर्ति के बिना बीजक या बिल जारी करता है ; या

(ग) अधिनियम की धारा 171 या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अतिक्रमण करता है ।";

(च) नियम 22 के उपनियम (3) में, "के उपनियम (1)" शब्दों, कोष्ठको और अंक का लोप किया जाएगा ;

(छ) नियम 24 में,--

(i) उपनियम (1) में दूसरे परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(3क) जहां रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र उपनियम (2) के खंड (ग) में निर्दिष्ट सूचना और विशिष्टियां प्रस्तुत करने की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, सामान्य पोर्टल पर आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया गया है और उक्त अवधि के भीतर, उपनियम (3) के अधीन कोई सूचना जारी नहीं की गयी है, वहां रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किया गया समझा जाएगा

और सम्यक्त हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित रजिस्ट्रीकरण का उक्त प्रमाण पत्र सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा ।";

(ज) नियम 26 के उप-नियम (3) में, "या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट" शब्दों के स्थान पर, "सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट या हस्ताक्षर के किसी अन्य ढंग द्वारा सत्यापित ई-हस्ताक्षर या इस निमित्त बोर्ड द्वारा यथा अधिसूचित सत्यापन के माध्यम से" शब्द रखे जाएंगे ;

(झ) प्ररूप जीएसटी सीएमपी-04 की सारणी में, क्रमसं0 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"5. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का प्रवर्ग

(i) ऐसे माल के, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, विनिर्माताओं से भिन्न विनिर्माता
(ii) अनुसूची-2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रदाय करने वाले प्रदायकर्ता
(iii) संविरचना उदग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य प्रदायकर्ता";

(ञ) प्ररूप जीएसटी सीएमपी-07 में, "[नियम 6(6) देखें]" कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर, "[नियम 6(5) देखें]" कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ट) प्ररूप जीएसटी आर.ई.जी.-12 में "30 दिनों के भीतर" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "90 दिन के भीतर" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ठ) प्ररूप जीएसटी आरईजी-25 में,-

(i) "अनंतिम पहचान" शब्दों के स्थान पर, "जीएसटीआईएन" अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) "स्थान" और "<राज्य>" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

[फा.सं 349/58/2017-जीएसटी]

(डॉ. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण–मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या 3/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017, द्वारा सा.का.नि. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।